समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेष ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र /2016 पुनर्विलोकन नि‌ग-122-III/16

साबिर हुसैन पिता सुभान खॉ चुडीघर निवासी
चीताखेडा तहसील ज़ीरन जिला नीमच म.प्र.
.........आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नीमच म0प्र0
..........अनावेदक

श्री .... को द्वारा आज दि. 12/1/16 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 12/1/16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 3817/तीन /2015 नीमच मे पारित आदेश दिनांक 17.12.2015 को पुर्नविलोकन किये जाने वावत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

प्रकरण के संक्षेप तथ्य

1. आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नीमच के प्रकरण क 11/अ–68/2011–12 मे पारित आदेश दिनांक 19.10.15 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी क 3817/तीन/15 प्रस्तुत की गई जिस निगरानी को स्वीकार न निरस्त कर दी गई ।
2. आवेदक द्वारा निगरानी मे मुख्य विन्दु उठाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण पटवारी की रिपोर्ट पर प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकरण नियत था परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही करदी गई एंव उसके अभिभाषक के विरूद्ध भी एक पक्षिय कार्यवाही कर दी गई । जवकि एक पक्षिय करने से पूर्व आवेदक एंव अभिभाषक को कोई सूचना नही दी गई एंव आवेदक अभिभाषक ने दिनाकं 19.10.15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु वह आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिया गया एंव प्रकरण मे वगैर कूट परीक्षण किये वगैर ही प्रकरण अंतिम आदेश हेतु नियत कर दिया गया हैं जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है जिस निगरानी को माननीय न्यायालय द्वारा वगैर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वुलाये मोसन प्रारम्भिक सुनवाई मे ही वगैर रिकार्ड वुलाये प्रकरण को निरस्त कर दिया गया और उल्लेख कर दिया गया कि अभी न्यायालय मे अनुपस्थिति रहने से आवेदक का मात्र प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त किया है अभी आवेदक को तर्क का अवसर उपलब्ध हैं।
3. यहकि, माननीय न्यायालय ने इस विन्दु पर कतई विचार नही किया गया एंव अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड को नही वुलाया गया जवकि प्रकरण धारा 248 के तहत चल रहा है जिसमे आवेदक को सिविल जेल की कार्यवाही भी हो गई हैं 15 दिवस जेल भी होकर आया है इसलिये प्रकरण काफी अर्जेन्ट नेचर का है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कूट परीक्षण करना आवेदक का अधिकार वनता है
4. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा आज आवेदक का प्रकरण को खारिज करने से सिर्फ अधिनस्थ न्यायालय मे तर्क होना है कूट परीक्षण नही होना जवकि जिस मोजा पटवारी के कथनो पर ही प्रकरण की सम्पूर्ण कार्य शैली अकित है क्योकि पटवारी मोजा की हर वार बार –बार अलग अलग रिपोर्ट व कथन दिये जारहे है इसलिये पटवारी मोजा के द्वारा दिये गये कथनो का कूटपरीक्षण लेना अति आवश्यक था यह पटवारी मोजा द्वारा दिये गये अलग अलग कथना व रिपोर्ट से स्पस्ट है जिसकी प्रति आदेश 24.11.11 एवं 14.1.12 की संलग्न अनेक्चर पी–1 एंव पी–2 है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू–122–तीन/16 [सावित्रि हुसैन / शासन] **जिला** नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–10–2016	आवेदक की ओर से श्री सुनील जादौन,अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक उपस्थित। ग्राहयता पर सुना गया । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं प्रतिपरीक्षण का अवर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	